## -:निर्णय:-

दिनांक 16.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पता सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अनुसार सही एवं पत्र व्यवहार का पता सही है जो वाद शीर्षक में दर्शाया गया है।

कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के पिता एवं मघाराम पुत्रा श्री चिमनाराम कौम मेघवंशी निवासी अमरपुरा थेहड़ी के नाम पुश्तैनी भूमि चक 9 एचएमएच के वर्तमान खाता सं. 19/14 कुल भूमि चक 9 एचएमएच में भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प नं. 153/272 मु नं. 48 किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, प नं. 154/266 मु नं. 29 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, प नं. 155/271 मु नं. 45 किला नं. 16/1,1 6/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, प नं. 155/272 मु नं. 46 किला नं. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, प नं. 155/273 मु नं. 51 किला नं. 2, 3, 4 जो कि वर्तमान में प्रतिवादिया सं. 1 कृष्णा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्रा की मद सं. 3 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादिया के पैतृक हक हिस्सा की भूमि है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल ने अपना हक हिस्सा बेचान कर दिया है जिसके पश्चात प्रतिवादी सं. 5 का हक हिस्सा शेष नहीं है ना ही कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीगण एवं वादिया ने अपने आपसी घरेलू समझौता अनुसार वादग्रस्त मद सं. 3 में वर्णित भूमि वादिया को प्राप्त है व वादिया निर्बाध रूप से काबिज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम प्रतिवादिया सं. 1 के

3

नाम दर्ज होने के कारण वादिया के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादिया प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवा कर वाद पत्रा की मद सं. 3 में वर्णित भूमि चक 9 एच एम एच के वर्तमान खाता सं. 19/14 कुल भूमि चक 9 एचएमएच में भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प नं. 153/272 मु नं. 48 किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, प नं. 154/266 मु नं. 29 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, प.नं. 155/271 मु नं. 45 किला नं. 16/1,1 6/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, प नं. 155/272 मु नं. 46 किला नं. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, प नं. 155/273 मु.नं. 51 किला नं. 2, 3, 4 कुल भूमि में वादिया को हक हिस्सा .890 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

यह कि 7 दिवस पूवर्प वादी द्वारा प्रतिवादीगण से मुकाम अमरपुरा थेहड़ी में निवेदन किया गया कि वादी को वाद में वर्णित मद सं. 3 में दर्ज भूमि 0.890 हैक्टेयर संपूर्ण भूमि का वादी को खातेदार घोषित करवा दो। वादी के निवेदन करने पर पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इनकार हो गये, यही वाद कारण है।

यह कि वाद पत्रा की समस्त भूमि चक 9 एचएमएच पटवार मण्डल अमरपुरा थेड़ी हनुमानगढ में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो कि पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः वाद पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी फरमाया जावेः

(क) कि घोषणा आज्ञाप्ति इस आशय की फरमाई जारी फरमाई जावे कि चक 9 एचएमएच के वर्तमान खाता सं. 19/14 कुल भूमि चक 9 एचएमएच में भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प नं. 153/272 मु नं. 48 किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, प नं. 154/266 मु नं. 29 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, प नं. 155/271 मु नं. 45 किला नं. 16/1,1 6/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, प नं. 155/272 मु नं. 46 किला नं. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, प नं. 155/273 मु नं. 51 किला नं. 2, 3, 4 में से .890 हैक्टेयर की हद तक प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादिया को 0.890 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता हरपाल सिंह उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने दावा में राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेशः</u>-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा के घोषणा की जाती है किः- चक 9 एचएमएच खाता सं. 19/14 में दर्ज तादादी 10.690 हैक्टेयर मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 0.890 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार

काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ